फोन नं0 225693

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दूसरी मंजिल लघु सचिवालय हिसार ।

यह कार्यालय मण्डल स्तर का है तथा इस कार्यालय का कार्यक्षेत्र जिला हिसार फतेहाबाद एवं सिरसा है ।

उद्देश्य

कार्यालय का उदेश्य यह सुनिश्चित् करना है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सरकार तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय पर दी जाने वाली सहकारिता सम्बन्धी योजनाओं को लागू किया जावे । जितनी भी प्राथमिक सहकारी समितियां, विपणन् समितियां, प्राथमिक कृषि एवं ग्प्रमीण विकास बैंक , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, अर्बन बैंक तथा अन्य प्रकार की सहकारी समितियों पर इस कार्यालय द्वारा निगरानी की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाती है कि इन समितियों, संस्थाओं द्वारा जनता जनार्दन को सरकार द्वारा प्रदत सुविधायें अधिक से अधिक प्रदान की जायें व उनका सदुपयोग हो ।

इसके अतिरिक्त सारे क्षेत्र में सहकारिता विभाग/सहकारी समितियों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित विवादों का निपटारा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के तहत किया जाता है । जन सूचना अधिनियम, 2005 की अनुपालना करवाई जाती है । सहकारी नियमों को सहकारी समितियों एवं संस्थाओं में लागू करवाया जाता है ओर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सहकारी अधिनियम नियम एवं उप नियमों की पालना हो ।

इस क्षेत्र में निम्न प्रकार से सहकारी संस्थायें एवं समितियां है :–

1–	केन्द्रीय सहकारी बैंक	3
2–	जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंक	3
3–	केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार	4
4–	जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण संघ	3
5–	सहकारी अर्बन बैंक	1

6—	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां	113
7—	श्रम एवं निर्माण सहकारी समितियां	1580
8—	सहकारी गृह निर्माण समितियां	170
9—	सहकारी उधार एवं बचत समितियां	254
10—	सहकारी परिवहन समितियां	275
11—	सहकारी औधोगिक समितियां	234
12—	अन्य सहकारी समितियों जैसे प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, मछली पालन, फल एवं सब्जियां उत्पादन आदि	85
13—	सहकारी विपणन समितियां	14

ये समितियां हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, नियम व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा द्वारा अनुमोदित उप नियमों के तहत कार्य करती है ।

उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां हिसार ।